

20.01.2022:-पत्रावली को पेशी मे आई। उपयपक्ष के निवेदन पर पत्रावली मे बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत एवं अधिवक्तागण कि बहस को मध्यनजर रखते हुए। वाद वादी पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना मे पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

(डॉ. अविर्गर्ग)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

हनुमानगढ